लापरवाही मार्ग पर जाम, दो दिनों के अंदर बड़े वाहनों के धंसने की 3 घटनाएँ, लोगों की परेशानी बढ़

अब फंसा ट्रक, रोज गिरकर चोटिल हो रहे राहगीर

कांचघर रोड पर पानी की पाइप लाइन बिछाने के काम में बरती लापरवाही

जबलपुर, नवभारत। रेलवे के पुल नंबर 1 के सामने से कांचघर रोड पर पिछले कुछ माह से पानी की पाइप लाइन बिछाने के काम में जिस हद दर्जे की लापरवाही बरती गई है, उसका परिणाम यह है कि रेलवे कोचिंग डिपो के सामने देर रात फिर एक ट्रक फंस गया, जो दोपहर तक फंसा रहा, जिससे इस मार्ग पर लगातार यातायात जाम होता रहा। चंद घंटों के अंदर बड़े वाहनों के धंसने की 3 घटनाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा कर रख दी है उल्लेखनीय है कि इस मार्ग पर हजारों रेल कर्मचारी-अधिकारी व आम नागरिक अपने काम-धंधे, स्कूलों में आना जाना करते हैं लेकिन पिछले कई माह से इस परियोजना के ठेकेदार द्वारा जिस प्रकार की सुस्त व लापरवाही पूर्ण कार्य किया गया है। इसकी बानगी सामने है जब 28 अप्रैल की शाम से देर रात तक सड़क में वाहन धंसने की तीन घटनाएं घट चुकी है।

हर दिन हो रहे हादसे

कांचघर मार्ग पर कोचिंग डिपो के पास आए दिन हादसे हो रहे हैं। कभी यहां क्रेन फंस जाती है तो कभी ईटो से भरा ट्रक। आलम यह है की बड़े वाहनो के साथ साथ अब छोटे दो पहिया और चार पहिया वाहन चालक भी यहाँ से गुज़रने में डरने लगे है। इतना ही नहीं आए दिन दो पहिया वाहन चालक यहाँ पड़ी चिकनी मिट्टी में फिसलकर चोटिल हो रहे है।

अब फंसा लोडेड ट्रक

मंगलवार 28 अप्रैल की देर रात 11 बजे के लगभग एक ट्रक क्रमांक एमएच 40 डीसी 0824 जो अमरकंटक की ओर से आ रहा था, उसके अगले व पिछले पहिये कोचिंग डिपो के पास सड़क में लगभग 1-1 फीट तक धंस गये। यह ट्रक काफ़ी मशक्कतों के बाद निकाला गया।जिसके कारण यातायात लगातार जाम होता रहा। वहीं इस घटना से पहले भी मंगलवार को ही कोचिंग डिपो के सामने ही एक ईंटो से भरा ट्रक लगभग 5 बजे फंसा था, इस घटना के ठीक 2 घंटे बाद एक टाटा ऐस भी पास में ही फंसा था। जिसे जेसीबी की मदद से निकाला गया था।

रेल कर्मी लगा रहे लंबा फेरा

नगर निगम द्वारा सुस्त तरीके से बिछाई जा रही पेयजल लाइन के कारण सौरभ कॉलोनी और आसपास के इलाकों में रहने वाले रेल कर्मचारियों को 3 किमी का अतिरिक्त फेरा लगाकर कार्यालय पहुंचना पड़ रहा है। लेकिन इन सब से निगम को हमेशा की तरह कोई लेना देना नहीं है।

घर में घुसकर तोड़फोड़, कार के कांच फोड़े, धमकाया

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत अनमोल हाइट्स में बीती रात एक ड्राइवर ने अपनी ही मालकिन के घर जमकर उपद्रव मचाया। दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसे आरोपी ने न केवल महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, बल्कि किचन के सामान और बाहर खड़ी कार में भी भारी तोड़फोड़ की। जाते-जाते आरोपी ने पीड़िता को पुलिस रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस के मुताबिक अनमोल हाइट्स निवासी शोभा उपाध्याय बीती रात करीब 12:30 बजे अपने घर पर थीं, तभी उनका ड्राइवर सतीश यादव वहां पहुंचा और जोर-जोर से दरवाजा पीटने लगा। अनहोनी की आशंका के चलते जब शोभा ने दरवाजा नहीं खोला, तो आरोपी ने दरवाजा तोड़ दिया और जबरन घर में दाखिल हो गया। आरोपी सतीश ने घर में घुसते ही पीड़िता से अभद्रता शुरू कर दीं। विरोध करने पर वह हिंसक हो गया और किचन में घुसकर कांच के बर्तनों व अन्य सामानों की तोड़फोड़ की। इसके बाद आरोपी ने अपना गुस्सा बाहर खड़ी पीड़िता की कार क्रमांक एमपी 20 जेड एक्स 5046 पर निकाला। उसने पत्थर और गमले मार-मारकर कार के कांच फोड़ दिए और गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। हंगामे की आवाज सुनकर पड़ोसी विवेक दास और भरत पासी मौके पर पहुंचे।

विधायक निर्मला सप्रे को विस अध्यक्ष ने दस्तावेज पेश करने दिया समय

हाईकोर्ट में सरकार की ओर से दी गई जानकारी, अगली सुनवाई 18 जून को

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ को सरकार की ओर से बताया गया कि विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्यवाही किये जाने संबंधित आवेदन की सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 22 अप्रैल को की गई थी। विधायक निर्मला सप्रे के आवेदन पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें दस्तावेज पेश करने समय प्रदान किया है। सरकार के जवाब को रिकॉर्ड में लेते हुए युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 18 जून को निर्धारित की है।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ओर से हाईकोर्ट में दल-बदल कानून के तहत कांग्रेस की बीना से विधायक निर्मला सप्रे का निर्वाचन शून्य करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष तोमर के समक्ष इस मामले में याचिका दायर की थी। लेकिन निर्धारित 90 दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई। जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। याचिका में कहा गया था कि विधायक निर्मला सप्रे ने पार्टी विरोध गतिविधियों में लिप्त थी। लोकसभा चुनाव के दौरान पांच मई 2024 को राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंची थीं। याचिकाकर्ता का कहना है कि कांग्रेस विधायक सप्रे भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। इसके बावजूद उन्होंने विधायक पद से त्यागपत्र नहीं दिया है। दलबदल कानून के प्रकाश में उनका यह रवैया गैर कानूनी है। इसलिए सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से उक्त जानकारी पेश की गई। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि विगत 10 फरवरी को दोनों पक्षों के बयान विधानसभा अध्यक्ष ने दर्ज कर लिए हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने कोई आदेश अभी तक पारित नहीं किया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उन्हें 90 दिनों में आदेश पारित करना था, युगलपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अगली सुनवाई की तिथि के संबंध में जानकारी चाही गई, जिस पर सरकार की ओर से उक्त जानकारी पेश करने में असमर्थता व्यक्त की गई। जिसे बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 18 जून को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने पक्ष रखा।

शिक्षक विहीन शासकीय स्कूलों के मामले में सरकार को जवाब के लिये मोहलत

प्रदेश के शासकीय स्कूलों में छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में है। दरअसल हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में आरोप है कि जिले के 102 शासकीय स्कूल शिक्षक विहीन है, जबकि 499 स्कूलों में सिर्फ एक या दो ही शिक्षक पदस्थ है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने पूर्व में शासकीय विद्यालयों की संख्या व शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर सरकार से हलफनामे में जवाब मांगा था। मामले में आगे हुई सुनवाई दौरान सरकार की ओर से जवाब के लिये समय की राहत चाही गई, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 जून को निर्धारित की है।दरअसल यह जनहित का मामला डिंडोरी निवासी लोक सिंह की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि डिंडौरी जिले के शासकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर अस्तित्वहीन है। क्योंकि 102 शासकीय स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है तो वहीं शेष अन्य 499 स्कूलों में एक या दो ही शिक्षक पदस्थ है। आवेदक की ओर से कहा गया कि जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं तो बच्चों की पढ़ाई कैसे संभव है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय है। इतना ही नहीं राईट-टू-एजुकेशन एक्ट का भी उल्लंघन है। क्योकि उक्त एक्ट के तहत बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

जबलपुर मंडल में चलाया गया टिकट चेकिंग अभियान

अनियमित यात्रियों पर हुई कार्रवाई

जबलपुर, नवभारत। ग्रीष्मकालीन अवधि में ट्रेनों में बढ़ती भीड़ एवं आरक्षित यात्रियों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए जबलपुर रेल मंडल द्वारा विशेष मजिस्ट्रेट चेकिंग अभियान संचालित किया गया। यह अभियान 27 अप्रैल को जबलपुर-सतना खंड में ट्रेन संख्या 12141 और 11060 में चलाया गया। यह अभियान रेलवे मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश सगर के नेतृत्व में संपन्न हुआ। उनके मार्गदर्शन में चल टिकट निरीक्षक, टिकट चेकिंग स्टाफ, आरपीएफ एवं जीआरपी की संयुक्त टीम द्वारा गहन जांच की गई। गर्मियों के दौरान ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ के कारण कई बार बिना टिकट अथवा अनियमित यात्री आरक्षित कोचों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पहले से आरक्षण कराए हुए यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान हेतु अभियान के दौरान विशेष रूप से आरक्षित कोचों में जांच पर बल दिया गया।

राजस्व किया गया अर्जित

जांच के दौरान कुल 156 बिना टिकट यात्रियों एवं लगभग 400 अनियमित यात्रियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से कुल 3,61,785 का राजस्व अर्जित किया गया। अभियान में शामिल टीम ने न केवल नियम उल्लंघन करने वाले यात्रियों के विरुद्ध कार्रवाई की, बल्कि यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने एवं रेलवे नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे आरक्षित कोचों में अनधिकृत प्रवेश न करें तथा टिकट लेकर ही यात्रा करें।

पुलिसकर्मी ने बारात में मचाया हंगामा, पिस्टल लहराई, बारातियों को पीटा, धमकाया

कांग्रेसियों ने घेरा पुलिस अधीक्षक कार्यालय

जबलपुर। रांझी से कृपाल चौक पहुंची बारात के दौरान बीती रात एक पुलिसकर्मी ने जमकर हंगामा मचाया बल्कि बारातियों को धमकाया बल्कि उनके साथ मारपीट कर दी। महिलाओं से भी बदसलूकी की। इस दौरान पुलिसकर्मी पर पिस्टल लहराने का भी आरोप है। मामले से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए है । जिसमें पुलिसकर्मी बारात में हंगामा मचाता, बारातियों को डराता-धमकाता नजर आ रहा है। मामले को लेकर युवा कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और एएसपी आयुष गुप्ता को शिकायत सौंपते हुए खुशियों में खलल डालने वाले पुलिस कर्मी पर कार्रवाई की मांग की है।

युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष सतेंद्र (सोनू) कुकरेले और कैंट विधानसभा अध्यक्ष सौरभ यादव ने बताया कि रांझी बड़ा पत्थर से कृपाल चौक, मदन महल स्थित कुशवाहा परिवार की बारात पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस क्राइम ब्रांच में कार्यरत कर्मचारी आनंद तिवारी निवासी कृपाल चौक पर आरोप है कि उन्होंने बारात में पहुंचकर खुलेआम पिस्टल दिखाकर बारातियों को धमकाया। आरोपी पुलिसकर्मी ने न केवल बारातियों को धमकाया, बल्कि लाठी से मारपीट भी की। महिलाओं, बुजुर्गों से अभद्रता की । इतना ही नहीं, रांझी क्षेत्र में जाकर भी धमकी देने की बात सामने आई है। घटना का वीडियो भी सौंपा गया है ।

कांग्रेसियों का कहना है कि यदि वर्दीधारी ही इस तरह पद का दुरुपयोग करेंगे, तो आम जनता की सुरक्षा पर सवाल खड़े होंगे। इसलिए पुलिस कर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। इस अवसर पर रवेंद्र कुशवाहा निलेश जैन (नीटू), अभ्युत बाजपेयी, नितिन सिंह, शिशांत सिंह ठाकुर, हिमांशु रजक राहुल चौधरी हिमांशु रजक, प्रवीण चौधरी राजेश गुप्ता देवेंद्र शर्मा सागर विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे।

फर्म मेकाल कार एक्सेसरीज पर 20 हजार का स्पॉट फाइन

नाली में गंदगी फैलाने पर कार्रवाई

जबलपुर। नगर निगम संभाग क्रमांक 14 के अंतर्गत स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाली फर्म मेकाल कार एक्सेसरीज के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की गई है। दरअसल सार्वजनिक नाली में कचरा और गंदगी प्रवाहित की जा रही थी, जिससे जल निकासी बाधित होने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने का खतरा था। जिसके चलते 20 हजार का स्पॉट फाइन किया गया।

विदित हो कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की दिशा में निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार द्वारा निरंतर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। नगर निगम टीम के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मेकाल कार एक्सेसरीज द्वारा सार्वजनिक नाली में कचरा और गंदगी प्रवाहित की जा रही थी, जिससे जल निकासी बाधित होने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने का खतरा था। नगर निगम की टीम ने त्वरित संज्ञान लेते हुए मौके पर ही 20,000 रुपये का स्पॉट फाइन किया। जुर्माने की राशि तत्काल निगम कोष में जमा कराई गई। कार्यवाही के दौरान सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अर्जुन यादव, सी.एस.आई. मोनिका तुमराम, एस.आई.कोदु लाल, संभागीय यंत्री सतेंद्र चक्रवर्ती, उपयंत्री खुशबू पटेल, संपत शेखर पटेल आदि उपस्थित रहे।

स्वच्छता से समझौता नहीं : निगमायुक्त

निगमायुक्त ने कहा कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। स्वच्छता से समझौता नहीं किया जायेगा। नाली या सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकना न केवल दंडनीय है, बल्कि यह नागरिक जिम्मेदारी के खिलाफ भी है। निगमायुक्त ने सभी व्यवसायियों और नागरिकों से अपील की है कि वे कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन करें और जबलपुर को नंबर वन बनाने में सहयोग दें।

जीआरपी ने यात्री को सुरक्षित लौटाया बैग

जबलपुर, नवभारत। प्लेटफार्म में यात्रियों की सुरक्षा और सतर्कता का एक बेहतरीन उदाहरण बुधवार को सामने आया। जीआरपी जबलपुर की मुस्तैदी से गुम हुआ बैग न सिर्फ बरामद हुआ, बल्कि उसमें रखे दस्तावेज भी सुरक्षित यात्री को वापस मिल गए। जीआरपी के प्रधान आरक्षक धीरेंद्र ने बताया कि 29 अप्रैल को जबलपुर के प्लेटफार्म क्रमांक 6 पर रेल यात्री अंजली चौरसिया उम्र 21 वर्ष निवासी मस्जिद रोड, खितौला थाना, जबलपुर ने शिकायत दर्ज कराई कि वे अपना दस्तावेजों से भरा बैग प्लेटफार्म क्रमांक 6 पर कही भूल गई है। जिसे प्रधान आरक्षक धीरेंद्र, आरती और प्रियंका के द्वारा खोजकर एवं यात्री का पता तलाश कर उन्हें थाने में बुला कर सुपुर्द किया गया।

93 चालकों पर जुर्माना, 23 के लायसेंस निलंबित

यातायात पुलिस ने की विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवाही

नवभारत, जबलपुर। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट के अनिवार्य उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु पुलिस परिवहन शोध संस्थान, पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा। जिसके तहत शहर में यातयात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्यवाही के साथ लाइसेंस निलंबन कार्यवाही की जा रही है। जानकारी के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक (मालवीय चौक, गढ़ा, घमापुर) एवं यातायात थाना प्रभारियों की संयुक्त टीमों ने जसूजा सिटी, महाराजपुर फॉरेस्ट नाका एवं पाटन बायपास क्षेत्र में बिना हेलमेट वाहन चालकों पर कार्रवाई की। जिसमें बस स्टैंड तिराहे पर हेलमेट पहनने वाले चालकों को प्रोत्साहन स्वरूप उपहार भी प्रदान किए गए। वहीं पुराना बस स्टैंड, तिराहा एवं गोरा बाजार रोड पर की गई कार्रवाई में 93 चालकों के चालान कर 27,900 रुपए की राशि वसूली गई तथा 23 प्रकरण लाइसेंस निलंबन के लिए आरटीओ को भेजे गए।

उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के तहत पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पीओएस मशीन के माध्यम से अधिकतम चालानी कार्रवाई करने तथा ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन हेतु प्रकरण परिवहन विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सुश्री अंजना तिवारी के निर्देशन में विभिन्न स्थानों पर टीमों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।

स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 बनने ननि ने झोंकी ताकत

जब हर नागरिकजिम्मेदारी समझेगा तब स्वच्छता की नई ऊंचाइयां छुएगा शहर

वार्डों में जाकर नागरिकों से लिए जा रहे फीडबैक

जबलपुर। जब शहर का हर नागरिक स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी जबलपुर स्वच्छता के राष्ट्रीय मानचित्र पर नई ऊँचाइयाँ छुएगा। यह बातें निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने कहीं। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान अपना बहुमूल्य फीडबैक अवश्य दें और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दें।

दरअसल स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में संस्कारधानी को देश के अग्रणी स्वच्छ शहरों की सूची में शीर्ष पर लाने के लिए निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के द्वारा प्रयासों को तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में नगर निगम की आई.ई.सी. टीम शहर के विभिन्न वार्डों और क्षेत्रों में जाकर नागरिकों से निरंतर फीडबैक प्राप्त कर रही है।

स्वच्छता सर्वेक्षण में सिटिजन फीडबैक एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। आई.ई.सी. टीम न केवल लोगों से फीडबैक ले रही है, बल्कि उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रही है। टीम द्वारा नागरिकों को कचरा पृथक्करण गीला, सूखा और हानिकारक कचरा अलग करना और 3आर के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है।

घर-घर पहुंच सीधे नागरिकों से संवाद

टीम द्वारा घर-घर जाकर और सार्वजनिक स्थलों पर नागरिकों से सीधे संवाद किया जा रहा है ताकि स्वच्छता के प्रति उनकी राय और सुझावों को प्रणाली में शामिल किया जा सके। नागरिकों के सकारात्मक फीडबैक और सक्रिय भागीदारी से शहर की स्वच्छता रैंकिंग में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। फीडबैक के माध्यम से उन क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जहाँ सुधार की आवश्यकता है, जिससे निगम की स्वच्छता सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

भाजपा नेता के घर पर आधी रात बमबाजी

जबलपुर। कैंट थाना अंतर्गत सदर बाजार में बीती रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब अज्ञात बदमाशों ने एक भाजपा नेता के घर को निशाना बनाकर बम से हमला कर दिया। इस हमले में घर के बाहरी हिस्से में आग लग गई और बिजली के उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार सदर बाजार की गली नंबर 9 निवासी बंटी शिवहरे, भारतीय जनता पार्टी के मंडल मंत्री हैं, मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे अपने परिवार के साथ घर की तीसरी मंजिल पर सो रहे थे। तभी अचानक एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ पूरे घर की बिजली गुल हो गई। धमाके की आवाज सुनकर जब बंटी शिवहरे ने नीचे झांका, तो घर के बाहर सड़क पर लोगों का मजमा लगा था। वे तुरंत नीचे पहुंचे तो देखा कि उनके मुख्य दरवाजे के पास आग लगी हुई थी। शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने तत्परता दिखाते हुए पानी डालकर आग बुझाई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अज्ञात शरारती तत्वों ने घर पर बम फेंका और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कैंट पुलिस मौके पर पहुंची। बम के धमाके से घर के बिजली बोर्ड और बाहरी दीवार को नुकसान पहुँचा है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं और। पुलिस अब इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। हमलावर कौन है और उन्होंने किन कारणों से वारदात को अंजाम दिया इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस छानबीन कर रही है।